न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 15/21 **वर्ष 2022**
जीसीएमएस संख्या 2021/179

बउनवानीः–चतुर्भुज मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल जाति महाजन निवासी मलारना डूँगर, उचित मूल्य दुकानदार भाग 1/6, मलारना डूँगर पीओएस मशीन 11282, जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.4.2021 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः–श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील अपीलान्ट
श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार रसद

–:निर्णय :– **दिनांकः– 24.5.2022**

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 7.4.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र इसलिए निरस्त किया गया है कि अपीलान्ट की दुकान बन्द मिली इसके लिए यह निवेदन है कि उस समय कोविड का दौर था व अपीलान्ट सहित अपीलान्ट की लडकी, धर्मपत्नि सभी परिवार के सदस्य बीमार हालात मे थे जिसके कारण दुकान खोला जाना सम्भव नही था जिस बाबत दिनांक 5.01.2021 को अपीलान्ट ने रेस्पो. को निवदेन भी किया था किन्तु दिनांक 5.2.2021 का निरीक्षण बताकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 8.2.2021 को निलम्बित किया जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 7.4.2021 को निरस्त किया गया है। जबकि उक्त अवधि मे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी बिमार स्थिति में रहा है। यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट पर कोई गम्भीर आरोप भी दौरान जॉच नही पाये गये है इसके बावजूद भी अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही निरस्त कर दिया है। जहॉ तक प्रार्थी का दुकान का काम नही करने का प्रश्न है तो उस समय प्रार्थी व उसका परिवार बिमार था एवं रसद विभाग द्वारा प्रतिदिन दुकान खोलने के आदेश दिये गये थे प्रार्थी तत्समय प्रतिदिन दुकान खोलकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करने मे असमर्थ होने के कारण दिनांक 5.1.2021 को जिला रसद अधिकारी को राशन सामग्री वितरण करने मे असमर्थ होने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया था उसी आधार पर मुझ अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत नही है। चूंकि अब मेरी एवं मेरे परिवार स्वस्थ्य [illegible] दुकान एक मात्र रोजगार का साधन होने के कारण मेरे परिवार के पालन पोषण की समस्या [illegible] कारण मैं अब राशन डीलर का कार्य करना चाहता हूँ। यह तर्क भी दिया कि [illegible] दिनांक 20.7.2021 को प्राप्त होने एवं दिनांक 26.7.2021 को आदेश की नकल प्राप्त हो[illegible] प्राप्त हो[illegible] अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के [illegible] अपील मयाद शु[illegible]मायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
सवाईमाधोपुर

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा दफा 5 के प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट द्वारा यह अंकित नही किया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी कब व किस माध्यम से प्राप्त हुई है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन संख्या 11282 का प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूँगर से जॉच करवायी गयी। जॉच रिपोर्ट दिनांक 5.2.2021 मे निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पायी गयी, दुकान बंद रखने का कोई कारण भी अंकित नही किया गया, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा फोन रिसिव नही किया, उपभौक्ता सप्ताह दिनांक 1.2.2021 से शुरू होने के बावजूद भी राशन डीलर द्वारा वितरण कार्य प्रारम्भ नही किया गया। इत्यादि अनियमितता पाये जाने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक 42–49 दिनांक 8.2.2021 से निलम्बित किया जाकर अपीलान्ट को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया जाकर सुनवायी हेतु दिनांक 3.3..2021 नियत की गयी । अपीलान्ट द्वारा भी राशन सामग्री वितरण कार्य करने मे असमर्थता जाहिर की जाकर प्रार्थी को कार्यमुक्त करने बाबत निवेदन किया जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8 व 9 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री चतुर्भुज मंगल (पीओएस मशीन संख्या 11282) ग्राम पंचायत मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर का प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/–रू समपहरण किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुताबिक पैरोकार रसद श्री चतुर्भुज मंगल (पीओएस मशीन संख्या 11282) ग्राम पंचायत मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर द्वारा स्वंय के द्वारा कार्य करने मे असमर्थ होने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। उचित मूल्य दुकान की जॉच के दौरान ऐसी कोई बडी अनियमितता या कोई गबन नही पाया गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सके। जहॉ तक अपीलान्ट द्वारा कार्य करने मे असमर्थता बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो तत्समय अपीलान्ट की पारिवारिक स्थिति सही नही होने के कारण उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है तथा उक्त दुकान हेतु किसी दीगर व्यक्ति को नवीन अनुज्ञा पत्र भी जारी नही किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए एवं अपीलान्ट की तत्सयम की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र सशर्त बहाल किया जाना उचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सशर्त स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट भविष्य मे विभागीय मापदण्डो का पालन करते हुए नियमित रूप दुकान खोलकर अपने उपभौक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करने के आशय का शपथ पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर देवे तो नियमानुसार उसका अनुज्ञा पत्र बहाल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर